

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4260/2025

Dilkhush Urf Kalu S/o Ambalal, Aged About 24 Years, R/o Gol,
Police Station Mitrapura, District Sawai Madhopur (Rajasthan).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Ravindra Kumar Paliwal
For Respondent(s)	: Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/04/2025

प्रार्थी—अभियुक्त की ओर से धारा 482 बी. एन. एस. एस. के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मित्रपुरा, जिला—सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 318(3), 318(4), 13 बी.एन.एस. व धारा 66—बी, 66—डी आई.टी. (संशोधन) अधिनियम 2008 में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में ऑनलाईन ठगी के सभी आक्षेप अन्य अभियुक्त वीरेन्द्र पर लगाये गये हैं। प्रार्थी को तो वीरेन्द्र द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पांच दिन पहले सिम दी गई थी। उससे पूर्व कोई मामला दर्ज नहीं है। उससे हिरासत में जांच की आवश्यकता नहीं है तथा वह अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। ऐसे में प्रार्थी—अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी—अभियुक्त पर साईबर ठगी का गंभीर आरोप है। उस पर अभियोग है कि उसने यू—ट्यूब सबस्क्राइबर बढ़ाने व यू—ट्यूब चैनल को मोनोटॉर्ज करने का झांसा देकर अपने बैंक खाते में पैसे डलवा लेता था। वह ग्राहकों से झांसा देकर पैसा ऐंठता था। उनका तर्क है कि

प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा ठगी के पैसे कैसे प्राप्त किए गये और किन-किन लोगों से उसने ठगी की, इस सम्बन्ध में उससे पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की जानी है। वर्तमान में साईबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसकी अभिरक्षात्मक जांच में आवश्यकता है। अतः उसकी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने तर्क-वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त पर अभियोग है कि उसने अपने मोबाईज फोन पर यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ाने व यू ट्यूब चैनल मोनाटाईज करने का झांसा देकर उनसे पैसे डलवाये था तथा जब ग्राहकों के यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ जाते तो ग्राहकों से पेटीएम/बैंक खाते में पैसे डलवा लेता था। जबकि वास्तव में किसी भी ग्राहक के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे। उस पर यह भी अभियोग है कि वह टेलिग्राम पर बिटकाईन का पेज डालकर ग्राहकों से चेटिंग करता था और रुपये दोगुने करने का झांसा देकर पैसे ऐंठता था। उसके बैंक खाते से ठगी राशि का लेनदेन किया जाना भी पाया गया है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है तथा वर्तमान में साईबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा ठगी के पैसे कैसे प्राप्त किए गये और किन-किन लोगों से उसने ठगी की, इस सम्बन्ध में उससे पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की जानी है। उसकी अभिरक्षात्मक जांच में आवश्यकता होना भी बताया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J